हाईस्कूल-इंटर में कम हो गए 1.32 लाख छात्र

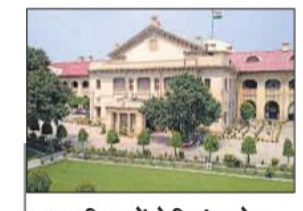
प्रयागराज,मुख्य संवाददाता। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा-2027 में 52 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। इस साल हाईस्कूल में 2775741 और इंटर में 2428972 कुल 52,04,713 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। पिछले साल की तुलना में परीक्षार्थियों की संख्या में 1,32,719 की कमी हुई है। 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए 10वीं में 2761972 जबकि 2575460 कुल 53,37,432 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। परीक्षार्थियों की संख्या में कमी का बड़ा कारण 2026 की परीक्षा के बंपर रिजल्ट को माना जा रहा है।

हाईस्कूल में 90.42 प्रतिशत और इंटरमीडिएट में 80.38 फीसदी बच्चे सफल हुए थे। पहले बड़ी संख्या में फेल होने वाले परीक्षार्थी दोबारा प्रवेश लेते थे, जिसके कारण परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हो जाती थी। अब आठ अक्तूबर तक छात्र-छात्राओं के विवरणों जन्मतिथि, की जांच एवं अपडेशन का काम होगा।

स्पेशल टीईटी समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं

विशेष टीईटी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित करने का राज्य सरकार का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है। कोर्ट ने कहा कि विशेष टीईटी के माध्यम से शिक्षकों को केवल वह न्यूनतम योग्यता हासिल करने का अवसर दिया जा रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य माना है। न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने प्रतीक मिश्रा व दो अन्य की याचिका खारिज करते हुए यह निर्णय दिया।



■ याचिका में दो सितंबर के शासनादेश व संबंधित ज्ञापन को चुनौती दी गई थी

याचिका में राज्य सरकार के दो सितंबर 2026 के शासनादेश और तीन सितंबर के संबंधित ज्ञापन को चुनौती दी गई थी। याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि विशेष टीईटी से पहले से नियमित टीईटी उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों के नियुक्ति के अवसर प्रभावित होंगे। उनका तर्क था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों से अलग विशेष परीक्षा कराने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि विशेष टीईटी उन शिक्षकों के लिए है, जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पहले हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें अनिवार्य योग्यता हासिल करने का अवसर दिया जा रहा है। राज्य के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी हासिल करने की समय-सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार संबंधित सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य योग्यता है। विशेष टीईटी उन्हें इस योग्यता को हासिल करने का अवसर देता है। इससे उन्हें नियुक्ति में कोई अतिरिक्त अंक, वरीयता, आरक्षण या अन्य छूट नहीं मिलती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेष टीईटी पास करने वाले शिक्षकों को भविष्य की भर्ती में कोई अनुचित लाभ दिया जाता है तो उस समय उस कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है।

शिक्षामित्रों को शामिल होने की अनुमति नहीं: हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों को स्पेशल शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने वसीम अहमद समेत 221 शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन ने गत दो सितंबर को एक शासनादेश जारी किया था, जिसके तहत स्पेशल टीईटी आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे।

अंकित की हत्या में रोहित गिरफ्तार

शामली। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। सोनीपत के उल्देपुर ठरू निवासी रोहित उर्फ लाडला की गिरफ्तारी के साथ पुलिस को हत्याकांड की साजिश से जुड़ी अहम कड़ी हाथ लगी है। पुलिस का दावा है कि रोहित ने एनकाउंटर में मारे गए शूटर मोहित का संपर्क भोलू शाहपुरिया से कराया था। इसके बाद अंकित की हत्या की योजना एवं अन्य शूटरों से तालमेल बैठाने में भी उसका रोल रहा है। पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। बंतीखेड़ा निवासी अंकित बालियान की 26 अगस्त को शामली में शाम करीब पौने सात बजे आर्यपुरी में हत्या कर दी गई थी।

शिक्षक भर्ती से 32 हजार अभ्यर्थियों की उम्मीद खत्म

■ वर्ष 2024 से 2026 के बीच दायर अवमानना याचिकाएं खारिज

■ अब 66,655 नियुक्तियों में नहीं की जाएगी कोई छेड़छाड़

प्रयागराज, विधि संवाददाता। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में चले आ रहे विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हमेशा के लिए बंद कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की खंडपीठ ने उन सैकड़ों अवमानना याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जो वर्ष 2014-15 के अंतरिम आदेशों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए वर्ष 2024 से 2026 के बीच दायर की गई थीं। इसी के साथ इस भर्ती में रिक्त 6170 पदों पर नियुक्ति की लड़ाई लड़ रहे 32 हजार से अधिक बेरोजगारों की उम्मीदें भी समाप्त हो गई हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि ये याचिकाएं पूरी तरह गलत धारणा पर टिकी हैं। शीर्ष कोर्ट में सिविल अपील संख्या 4347 से 4375 तक साल 2014 में दायर हुई थीं। तब अंतरिम आदेशों के जरिए राज्य सरकार को प्रशिक्षु शिक्षकों के पद भरने के निर्देश दिए गए थे। बाद में इनमें संशोधन भी हुआ।

जिन अभ्यर्थियों के नाम टीईटी में गड़बड़ी से जुड़े नहीं थे और जिन्होंने तय प्रतिशत अंक हासिल किए थे, उन्हें नियुक्ति दी गई। जुलाई 2017 में जब अंतिम फैसला आया तो अदालत ने साफ कर दिया कि अंतरिम आदेशों के तहत हुई 66,655 नियुक्तियों में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

एटा में मंदिर में सो रहे साधु की ईंट से कूचकर हत्या

एटा, हिन्दुस्तान संवाद। गांव लालपुर स्थित मंदिर के तपस्वी साधु की ईंट से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारोपी पोटली में रखी हजारों की नकदी लूट ले गया। सुबह गांव वालों की जय सियाराम की आवाज का जवाब नहीं आया तो स्थानीय लोगों ने मौके पर जाकर देखा। शव खून से लथपथ चारपाई पर पड़ा देख सनसनी फैल गई।

हत्या की जानकारी मिलते ही एसएसपी, एएसपी, सीओ, थाना पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी ली है। पुलिस का दावा है कि मानसिक रुप से कमजोर युवक ने हत्या की।

थाना निधौलीकलां के गांव लालपुर निवासी भोजराज (60) पुत्र सूरजपाल साधु थे। गांव के बाहर बने मंदिर में बीस साल से रह रहे थे। परिवार के भतीजे और गांव के लोग खाना देने जाते थे। बुधवार शाम को ग्रामीणों के साथ मंदिर पर काफी देर तक बैठे रहे। बाद में सोने चले गए थे।

कैंटर ने बाइक सवार पिता-पुत्र को रौंदा, मौत

बुलंदशहर। डिबाई के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली-बदायूं मार्ग पर ग्राम मुमरेजपुर के पास गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े बाइक सवार परिवार को तेज रफ्तार दूध के कैंटर ने रौंद दिया। हादसे में पिता-पुत्र की मौत हो गई, जबकि महिला और बेटी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार बाइक सवार 32 वर्षीय दिलशाद पुत्र बाबू निवासी मोहल्ला पठान टोला, नई बस्ती थाना पहासू पत्नी शाबरा और नौ वर्षीय पुत्री माहिन, छह साल के पुत्र गयान के साथ बाइक से जा रहे थे। दिल्ली-बदायूं मार्ग पर गांव मुमरेज के पास बाइक सवार परिवार सड़क किनारे खड़ा था। इसी बीच तेज रफ्तार में आए दूध के खाली कैंटर ने पूरे परिवार को चपेट में ले लिया। हादसे में दिलशाद और पुत्र गयान की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल मां-बेटी को हायर सेंटर रेफर किया गया है।

हादसे के बाद चालक कैंटर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसे की सूचना मिलने पर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। थाना प्रभारी वरुण शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरार चालक की तलाश की जा रही है।

विशेष कार्याधिकारी (विक्रय– जोन–1ए)

खुला निमंत्रण

गाँधी जयंती के शुभ अवसर पर भारी छूट

स्वराज्य आश्रम

सर्वोदय नगर, कानपुर द्वारा आयोजित

विशाल खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का

उद्घाटन

दिनांक 2 अक्टूबर 2026 शुक्रवार को अपरान्ह 4 बजे

श्रीमती प्रमिला पाण्डेय महापौर, कानपुर नगर

द्वारा सम्पन्न होगा।

प्रदर्शनी खुलने का समय - प्रतिदिन 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक

खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, सर्वोदयनगर, कानपुर के अतिरिक्त स्वराज्य आश्रम के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित खादी भवनों/भण्डारों में इस समय खादी वस्त्रों पर भारी छूट मिल रही है। कृपया आवश्यकता की वस्तुऐं खरीदकर छूट का लाभ उठाऐं।

कानपुर महानगर में संस्था के निम्नलिखित खादी भवन/भण्डार कार्यरत है।

1. खादी इम्पोरियम-सर्वोदय नगर 2. खादी भवन - माल रोड

1. सूती खादी पर 2. रेशम खादी एवं साड़ियों पर
3. ऊनी खादी कम्बल, कम्बली पर (पश्मीना को छोडकर)
4. पोली वस्त्र पर

भारी छूट

विशेष- समयाभाव के कारण सभी के पास निमंत्रण पत्र नहीं भेजे जा सके हैं। अतः सभी गणमान्य स्वजनों से अनुरोध है कि इसी को निमंत्रण मानकर प्रदर्शनी उद्घाटन समारोह में शामिल होने की कृपा करें।

विनीत : प्रेम सिंह सेंगर
मंत्री
स्वराज्य आश्रम, कानपुर

ई–नीलामी विक्रय सूचना

सरफेसी अधिनिम 2002 के अंतर्गत

बैंक ऑफ़ इंडिया रिश्तों की जमा पूंजी

आंचलिक कार्यालय 128/24 ओम लक्ष्मी टॉवर, एच ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर–208011, दूरभाष : 0512–2985004

प्रतिमूति हित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति करण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूत्ति हित का प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी (यो), जमानतकर्ता (ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक के ऑफ इण्डिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है, जैसी है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर नियम 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना वर्णित बकाया राशि एवं उस पर ब्याज, खर्च एवं व्ययों की वसूली हेतु विक्रय की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है, आरक्षित्त मूल्य एवं धरोहर धनराशि सभी सम्पत्तियों के आगे अंकित है।

क्र. सं.	ऋणी /जमानतदार का नाम, मांग नोटिस दिनांक व राशि एवं कब्जा दिनांक/कब्जे का प्रकार	बंधक रखी सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति के बंधककर्ता का नाम/ऋणी	आरक्षित मूल्य (लाख में) / धरोहर राशि (लाख में) / बोली वृद्धि राशि
	शाखा शिवाजी नगर (झांसी), जय मेडिकल कॉम्प्लेक्स, एमएलबी मेडिकल गेट नंबर 1 के सामने, झांसी, पिन कोड–284128		
1.	**ऋणी:** श्री मुकेश चंद्र पुत्र राम दास **जमानतकर्ता:** श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी मुकेश चंद्र **मांग सूचना दिनांक:** 19.02.2025 **राशि:** रू. 12,33,328.44 + ब्याज दिनांक 19.02.2025 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक:** 22.07.2025/सांकेतिक	सभी संपत्ति का साम्यिक बंधक स्थित मकान सं. मोहल्ला 314 (नया नंबर), पुराना मकान सं. 558/1, मोहल्ला छनियापुरा, तहसील एवं जिला झांसी, क्षेत्रफल 74.63 वर्ग मीटर, **मालिक:** श्री मुकेश चंद्र पाखरे पुत्र स्वर्गीय श्री राम दास **क्षेत्रफल:** 74.63 वर्ग मीटर **परिसर की चौहद्दी: पूर्व:** 3.05 मीटर चौड़ी सड़क, **पश्चिम:** हरि तरैतिया का मकान, **उत्तर:** राम बाबू का मकान, **दक्षिण:** 3.05 मीटर चौड़ी सड़क	रू. 34.14 / रू. 3.41 / रू. 25,000/–

उपरोक्त सभी सम्पत्तियों हेतु धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि 26.10.2026 शाम 04.00 बजे तक
उपरोक्त सभी सम्पत्तियों की ई–नीलामी दिनांक 27.10.2026 को समय प्रातः 11 बजे से शाम 5.00 बजे तक (5 मिनिट अन्तराल के असीमित विस्तार के साथ)

विक्रय की नियम एवं शर्तेः– 1. यह ई–नीलामी **"जहां है, जैसी है" एवं "जो कुछ भी है"** के आधार पर हो रही है। 2. प्राधिकृत अधिकारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास तक नीलामी की जा रही सम्पत्ति भार मुक्त है फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता को चाहिए की ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतन्त्र रूप से सभी भार, टाईटिल क्लेम संविधिक देयतायें (सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर/आयकर एवं या अन्य कोई सरकारी एजेंसी) आदि की स्वयं जांच कर ले। सभी सम्पत्तियां सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तदायी नहीं होगा। 3. यह निविदाकर्ताओं का उत्तदायित्व है कि ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये बैंक ऑफ इण्डिया की संबंधित शाखा से सम्पर्क कर सकते है। 4. इच्छुक निविदाकर्ता वेब पोर्टल **https://www.BAANKNET.com** पर रजिस्टर करके आपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे तथा इसी पोर्टल के माध्यम से ईएमडी जमा की जा सकती है। 5. वेब पोर्टल में पंजीकरण के पश्चात इच्छुक निविदाकर्ता निम्नलिखित दस्तावेजों को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व वेब पोर्टल में अपलोड कर ले। 1. पैन कार्ड की प्रति, 2. आईडी प्रूफ (केवाईसी) जैसे– स्वयं सत्यापित आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स / पासपोर्ट आदि। 6. ई–नीलामी प्रक्रिया में केवल वैध यूजर आईडी, पासवर्ड धारक निविदाकर्ता ही भाग ले सकेंगे। 7. केवल वही इच्छुक निविदाकर्ता जिन्होने ईएमडी भुगतान **दिनांक 26.10.2026** तक तय समय से कर दिया है, ही ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग ले पायेंगे। 8. यदि सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रू 50 लाख तक है तो निविदाकर्ता निविदा की राशि रु. 25000/– के खण्ड में ही बढ़ा पायेंगे, इसी प्रकार यदि आरक्षित मूल्य रू. 50 लाख से अधिक है तो यह राशि रु. 50000/– होगी। 9. उच्चतम बोली लगाने वाले को प्राधिकृत्त अधिकारी की अनुमति से सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। जिसकी जानकारी उसे इलेक्ट्रिक मोड द्वारा उनके ईमेल पते पर दी जायेगी। 10. प्रधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी बोली को स्वीकार / निरस्त करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी को ही होगा। 11. सफल बोलीकर्ता की ईएमडी राशि **BAANKNET** वॉलेट में ही रहेगी तथा सभी असफल बोलीकर्ता की राशि **BAANKNET** से वापस ली जा सकेगी। ईएमडी राशि पर **BAANKNET** द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। 12. सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य (अर्थात अधिकतम बोली राशि) का 25 प्रतिशत (ईएमडी राशि सम्मिलित करके) तुरन्त जमा करना होगा। शेष बकाया राशि उसे 15 दिन या उसके अन्दर जमा करना होगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा भुगतान में असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा राशि बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर ली जायेगी। 13. निविदाकर्ता को यह सलह दी जाती है कि निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी **https://www.bankofindia.co.in, https://www.BAANKNET.com** से प्राप्त कर लें। 14. यदि विक्रय मूल्य 50 लाख रुपये या उससे अधिक है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–IA के अंतर्गत अधिकतम विक्रय मूल्य पर सफल बोलीदाता द्वारा टीडीएस कर देय होगा तथा सरकारी नियमों के अनुसार विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त जीएसटी (जहां भी लागू हो) देय होगा। 15. इच्छुक निविदाकर्ता के पास बिड से संबंधित उचित संसाधन होने चाहिए, इस संबंध में कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। 16. बोली आरक्षित मूल्य के ऊपर ही स्वीकार की जायेगी।

ऋणकर्ताओं/जमानतदारों/बंधककर्ता को 15 दिन की विक्रय सूचना

उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता/जमानकर्ता/बंधककर्ता को धारा 13 (2) में वर्णित राशि नीलामी की तिथि के पूर्व भुगतान करने हेतु सूचना दी जाती है। राशि जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति नीलाम कर दी जायेगी तथा शेष राशि मय ब्याज तथा लागत के साथ आपसे वसूल की जायेगी अथवा उधाकर्ता उपरोक्त दिनांक को बैंक द्वारा उनके खाते में देय राशि की वसली हेत आयोजित नीलामी में भी भाग ले सकते हैं।

दिनांकः 28.09.2026 स्थानः झांसी प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

ई–नीलामी विक्रय सूचना

सरफेसी अधिनिम 2002 के अंतर्गत

बैंक ऑफ़ इंडिया रिश्तों की जमा पूंजी

आंचलिक कार्यालय 128/24 ओम लक्ष्मी टॉवर, एच ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर–208011, दूरभाष : 0512–2985004

प्रतिमूति हित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति करण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूत्ति हित का प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी (यो), जमानतकर्ता (ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक के ऑफ इण्डिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है, जैसी है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर नियम 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना वर्णित बकाया राशि एवं उस पर ब्याज, खर्च एवं व्ययों की वसूली हेतु विक्रय की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है, आरक्षित्त मूल्य एवं धरोहर धनराशि सभी सम्पत्तियों के आगे अंकित है।

क्र. सं.	ऋणी /जमानतदार का नाम, मांग नोटिस दिनांक व राशि एवं कब्जा दिनांक/कब्जे का प्रकार	बंधक रखी सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति के बंधककर्ता का नाम/ऋणी	आरक्षित मूल्य (लाख में) / धरोहर राशि (लाख में) / बोली वृद्धि राशि
	कानपुर एसएमई शाखा, 52–ए, को–ऑपरेटिव इण्डस्ट्रियल एरिया, दादा नगर, कानपुर 208022		
1.	**ऋणी:** श्री मनीष शर्मा **सह–ऋणी:** श्री नीतेश शर्मा **मांग सूचना दिनांक:** 24.04.2026 **राशि:** रू. 24,97,967.73 + ब्याज दिनांक 24.04.2026 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक:** 04.07.2026/सांकेतिक	अचल सम्पत्ति का साम्यिक बंधक, मकान सं. 367 स्थित ब्लॉक सं. जे, स्कीम EWS-II, गुजैनी KUDP, मोहल्ला गुजैनी, कानपुर नगर–208022 **क्षेत्रफल 36.75 वर्ग मीटर; मालिक:** श्री मनीष शर्मा एवं श्री नीतेश शर्मा, **चौहद्दी: पूर्व:** प्लॉट/ मकान सं. 372, **पश्चिम:** 4.50 मीटर चौड़ी सड़क, **उत्तर:** प्लॉट/मकान सं. 368, **दक्षिण:** प्लॉट/मकान सं. 366	रू. 27.88 / रू. 2.78 / रू. 25,000/–
	दिनांकः 29.09.2026 स्थानः कानपुर प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया		
	सी. पी. मिशन कम्पाउण्ड शाखा, राज एस्टेट, ग्वालियर रोड, राधिका मंडपम के सामने, झांसी (उ.प्र.), पिन कोड–284003		
2.	**ऋणी:** श्री जगत सिंह पुत्र नत्थू सिंह **सह–ऋणी:** श्री अशोक सिंह पुत्र श्री जगत सिंह **जमानतकर्ता:** श्रीमती ममता देवी पत्नी अशोक सिंह **मांग सूचना दिनांक:** 22.08.2025 **राशि:** रू. 9,01,296.94 + ब्याज दिनांक 22.08.2025 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक:** 03.11.2025/सांकेतिक	सभी भूमि एवं भवन स्थित अराज़ी संख्या 1145 का प्लॉट, मौजा लहरिद आबादी/मोहल्ला दीन दयाल नगर तहसील एवं जिला झांसी **क्षेत्रफल:** 70.84 वर्ग मीटर **परिसर की चौहद्दी: पूर्व:** विक्रेता श्रीमती मंजू दत्ता का प्लॉट, **पश्चिम:** श्रीमती गोमती का मकान, **उत्तर:** 15 फीट चौड़ा रास्ता, **दक्षिण:** वर्मा जी एवं भगवती प्रसाद का प्लॉट	रू. 18.42 / रू. 1.84 / रू. 25,000/–
	दिनांकः 01.10.2026 स्थानः झांसी प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया		
	झाँसी शाखा, प्लॉट सं. 331/2–331/बी 1 झोकन बाग, नारायण धर्मशाला के पास, पी.पी. प्लाजा, प्रथम तल, निजी दुकान सं. एफ–2, झाँसी (उ.प्र.) पिन कोड–284001		
3.	**ऋणी:** 1. श्री राघव वर्मा पुत्र श्री नारायण दास वर्मा, 2. श्री रवि प्रकाश सोनी पुत्र श्री कैलाश नारायण सोनी **मांग सूचना दिनांक:** 29.08.2022 **राशि:** रू. 26,64,789.99 + ब्याज दिनांक 29.08.2022 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक:** 21.11.2022/सांकेतिक	सभी भूमि एवं भवन स्थित मकान संख्या 75 1/2 पुराना, 102, नया मोहल्ला, नरसिंह राव तोरिया, तहसील एवं जिला झांसी **क्षेत्रफल:** 114.77 वर्ग मीटर **परिसर की चौहद्दी: पूर्व:** श्रीमती मिथला देवी त्रिपाठी का मकान, **पश्चिम:** नत्थू रायकवार का मकान एवं चबूतरा, **उत्तर:** रामदास पहलवान का मकान, **दक्षिण:** सामान्य 1.09 मीटर चौड़ी रोड	रू. 28.18 / रू. 2.82 / रू. 25,000/–
	दिनांकः 28.09.2026 स्थानः झांसी प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया		

उपरोक्त सभी सम्पत्तियों हेतु धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि 25.11.2026 शाम 04.00 बजे तक
उपरोक्त सभी सम्पत्तियों की ई–नीलामी दिनांक 26.11.2026 को समय प्रातः 11 बजे से शाम 5.00 बजे तक (5 मिनिट अन्तराल के असीमित विस्तार के साथ)

विक्रय की नियम एवं शर्तेः– 1. यह ई–नीलामी **"जहां है, जैसी है" एवं "जो कुछ भी है"** के आधार पर हो रही है। 2. प्राधिकृत अधिकारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास तक नीलामी की जा रही सम्पत्ति भार मुक्त है फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता को चाहिए की ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतन्त्र रूप से सभी भार, टाईटिल क्लेम संविधिक देयतायें (सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर/आयकर एवं या अन्य कोई सरकारी एजेंसी) आदि की स्वयं जांच कर ले। सभी सम्पत्तियां सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तदायी नहीं होगा। 3. यह निविदाकर्ताओं का उत्तदायित्व है कि ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये बैंक ऑफ इण्डिया की संबंधित शाखा से सम्पर्क कर सकते है। 4. इच्छुक निविदाकर्ता वेब पोर्टल **https://www.BAANKNET.com** पर रजिस्टर करके आपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे तथा इसी पोर्टल के माध्यम से ईएमडी जमा की जा सकती है। 5. वेब पोर्टल में पंजीकरण के पश्चात इच्छुक निविदाकर्ता निम्नलिखित दस्तावेजों को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व वेब पोर्टल में अपलोड कर ले। 1. पैन कार्ड की प्रति, 2. आईडी प्रूफ (केवाईसी) जैसे– स्वयं सत्यापित आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स / पासपोर्ट आदि। 6. ई–नीलामी प्रक्रिया में केवल वैध यूजर आईडी, पासवर्ड धारक निविदाकर्ता ही भाग ले सकेंगे। 7. केवल वही इच्छुक निविदाकर्ता जिन्होने ईएमडी भुगतान **दिनांक 25.11.2026** तक तय समय से कर दिया है, ही ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग ले पायेंगे। 8. यदि सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रू 50 लाख तक है तो निविदाकर्ता निविदा की राशि रु. 25000/– के खण्ड में ही बढ़ा पायेंगे, इसी प्रकार यदि आरक्षित मूल्य रू. 50 लाख से अधिक है तो यह राशि रु. 50000/– होगी। 9. उच्चतम बोली लगाने वाले को प्राधिकृत्त अधिकारी की अनुमति से सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। जिसकी जानकारी उसे इलेक्ट्रिक मोड द्वारा उनके ईमेल पते पर दी जायेगी। 10. प्रधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी बोली को स्वीकार / निरस्त करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी को ही होगा। 11. सफल बोलीकर्ता की ईएमडी राशि **BAANKNET** वॉलेट में ही रहेगी तथा सभी असफल बोलीकर्ता की राशि **BAANKNET** से वापस ली जा सकेगी। ईएमडी राशि पर **BAANKNET** द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। 12. सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य (अर्थात अधिकतम बोली राशि) का 25 प्रतिशत (ईएमडी राशि सम्मिलित करके) तुरन्त जमा करना होगा। शेष बकाया राशि उसे 15 दिन या उसके अन्दर जमा करना होगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा भुगतान में असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा राशि बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर ली जायेगी। 13. निविदाकर्ता को यह सलह दी जाती है कि निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी **https://www.bankofindia.co.in, https://www.BAANKNET.com** से प्राप्त कर लें। 14. यदि विक्रय मूल्य 50 लाख रुपये या उससे अधिक है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–IA के अंतर्गत अधिकतम विक्रय मूल्य पर सफल बोलीदाता द्वारा टीडीएस कर देय होगा तथा सरकारी नियमों के अनुसार विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त जीएसटी (जहां भी लागू हो) देय होगा। 15. इच्छुक निविदाकर्ता के पास बिड से संबंधित उचित संसाधन होने चाहिए, इस संबंध में कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। 16. बोली आरक्षित मूल्य के ऊपर ही स्वीकार की जायेगी।

ऋणकर्ताओं/जमानतदारों/बंधककर्ता को 15 दिन की विक्रय सूचना

उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता/जमानकर्ता/बंधककर्ता को धारा 13 (2) में वर्णित राशि नीलामी की तिथि के पूर्व भुगतान करने हेतु सूचना दी जाती है। राशि जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति नीलाम कर दी जायेगी तथा शेष राशि मय ब्याज तथा लागत के साथ आपसे वसूल की जायेगी अथवा उधाकर्ता उपरोक्त दिनांक को बैंक द्वारा उनके खाते में देय राशि की वसली हेत आयोजित नीलामी में भी भाग ले सकते हैं।

लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश

कुप्रशासन — प्रदेश को भ्रष्टाचार/कुप्रशासन मुक्त बनाने हेतु जनता से अपील — भ्रष्टाचार

उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त लोक सेवक यथा माननीय मंत्रीगण/विधायकगण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष व अन्य अधिकारी, जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत तथा अन्य पंचायत के अध्यक्ष/अन्य अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा वित्त पोषित समस्त इकाईयाँ/संस्थान/प्राधिकरण, सोसाइटियों व परिषदों आदि से संबधित भ्रष्टाचार/कदाचार/कुप्रशासन तथा सेवानिवृत्तिक देयकों से संबंधित शिकायतों की जॉच हेतु निम्न पते पर सम्पर्क करें–

पताः– टी0सी0–46/वी–1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 अथवा पोस्ट बाक्स नम्बर–172, जी0पी0ओ0, लखनऊ, फैक्स नं0– (0522) 2306647
फोन नं0: (0522) 2306717, 2306160 (पी0बी0 एक्स),
Web site - www.lokayukta.up.nic.in, E-mail :- lokayukta@hotmail.com

सचिव, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर मध्य रेलवे

ई-निविदा सूचना सं0 : JHS-N-W-77-26 दिनांक : 28.09.2026

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

वरिष्ठ मंडल सिगनल व दूरसंचार अभियंता उत्तर मध्य रेल झांसी भारत के राष्ट्रपति के लिए व उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते है।

ई-निविदा सूचना संख्या : JHS-N-W-77-26	कार्य लागत लगभग : Rs. 27796798.73
कार्य का नाम : प्रोविज़न ऑफ़ S&T वर्क इन कनेक्शन विथ रीबिल्डिंग ऑफ़ एक्सिस्टिंग ओवरएज्ड स्टील गर्डर ब्रिजस ऑफ़ क्लियर span 12.2M by PSC स्लैब ऑफ़ ब्रिजस इन BINA-DHO सेक्शन ऑफ़ झाँसी डिवीज़न।	
धरोहर राशि : Rs. 555900.00/-	निविदा प्रपत्र का मूल्य : Nil.
निविदा खुलने की तिथि : 23.10.2026, Time 15:00	
स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन अवधि : 12 माह	

• निविदा दिनॉक 23.10.2026 को 15:00 बजे तक ऑन लाईन जमा कर सकेंगे। • पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल के वेब साइट www.ireps.gov.in (NORTH CENTRAL RLY/JHANSI DIVISION-S AND T) पर देखें। 2216/26 (C)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @ CPRONC

उत्तर मध्य रेलवे

ई-निविदा सूचना सं0 : JHS-N-W-70-26 दिनांक : 28.09.2026

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

वरिष्ठ मंडल सिगनल व दूरसंचार अभियंता उत्तर मध्य रेल झांसी भारत के राष्ट्रपति के लिए व उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते है।

ई-निविदा सूचना संख्या : JHS-N-W-70-26	धरोहर राशि : Rs. 280200/-
कार्य का नाम : प्रोविजन ऑफ़ वर्क इन कनेक्शन विथ कंस्ट्रक्शन ऑफ़ ट्रैक मशीन स्टेब्लिंग साइडिंग इन ग्वालियर-धौलपुर & बिरलानगर-इटावा सेक्शनस ऑफ़ झाँसी डिवीज़न।	
कार्य लागत लगभग : Rs. 14009618.95	निविदा प्रपत्र का मूल्य : Nil.
निविदा खुलने की तिथि : 23.10.2026, Time 15:00	
स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन अवधि : 12 माह	

• निविदा दिनाँक 23.10.2026 को 15:00 बजे तक ऑन लाईन जमा कर सकेंगे। • पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल के वेब साइट www.ireps.gov.in (NORTH CENTRAL RLY / JHANSI DIVISION-S AND T) पर देखें। 2215/26 (AS)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @ CPRONCR

कानपुर नगर निगम

निविदा सूचना

निविदा संख्या–82/मु0अभि0/2026–27

नगर निगम कानपुर के समस्त वर्ष 2025–26 में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा के अन्तर्गत तथा उ०प्र० सरकार के अधीन किसी सरकारी संस्था में निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2025–26 हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से विभिन्न अभियन्त्रण खण्डों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्यों हेतु निम्नानुसार निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं :–

1. ई–निविदा पद्धति से आमन्त्रित कार्यों की निविदायें संख्या–298 दिनांक– 20.10.2026

उपरोक्तानुसार आमन्त्रित निविदाओं में निम्न अतिरिक्त शर्तें अनुमन्य होंगीः–

1. लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं0–86/2026/649/2026/23–7099/106/2025 दिनांक– 23 मई, 2026 में दी गयी व्यवस्था लागू होगी।
2. एक समान दरें प्राप्त होने पर सर्वनिम्न निविदादाता का चयन विभाग द्वारा संचालित सॉफ्टवेयर पर ई–लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
3. सडक मरम्मत के कार्यों हेतु शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/निगमों/यू०एल०बी० यथा लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद इत्यादि में **"सडक निर्माण कार्य"** हेतु पंजीकृत फर्म प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होंगे। इस हेतु प्रतिभागी फर्म **को सडक निर्माण कार्य सम्बन्धी वैध** पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न (अपलोड) करना होगा।

आमंन्त्रित कार्यों का पृथक पृथक विवरण एवं निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते कानपुर नगर निगम की बेवसाइट kmc.up.nic.in पर एवं ई–टेण्डर की वेबसाइट www://etender.up.nic.in पर पढ़ी व देखी जा सकती हैं।

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम कानपुर

कानपुर नगर निगम

निविदा सूचना

निविदा संख्या–81/मु0अभि0/2026–27

नगर निगम कानपुर के समस्त वर्ष 2025–26 में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा के अन्तर्गत तथा उ०प्र० सरकार के अधीन किसी सरकारी संस्था में निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2025–26 हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से विभिन्न अभियन्त्रण खण्डों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्यों हेतु निम्नानुसार निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं :–

1. ई–निविदा पद्धति से आमन्त्रित कार्यों की निविदायें संख्या–131 दिनांक– 09.10.2026

उपरोक्तानुसार आमन्त्रित निविदाओं में निम्न अतिरिक्त शर्तें अनुमन्य होंगीः–

1. लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं0–86/2026/649/2026/23–7099/106/2025 दिनांक– 23 मई, 2026 में दी गयी व्यवस्था लागू होगी।
2. एक समान दरें प्राप्त होने पर सर्वनिम्न निविदादाता का चयन विभाग द्वारा संचालित सॉफ्टवेयर पर ई–लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
3. सडक मरम्मत के कार्यों हेतु शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/निगमों/यू०एल०बी० यथा लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद इत्यादि में **"सडक निर्माण कार्य"** हेतु पंजीकृत फर्म प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होंगे। इस हेतु प्रतिभागी फर्म **को सडक निर्माण कार्य सम्बन्धी वैध** पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न (अपलोड) करना होगा।

आमंन्त्रित कार्यों का पृथक पृथक विवरण एवं निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते कानपुर नगर निगम की बेवसाइट kmc.up.nic.in पर एवं ई–टेण्डर की वेबसाइट www://etender.up.nic.in पर पढ़ी व देखी जा सकती हैं।

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम कानपुर